भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 737
उत्तर देने की तारीख 26 जून, 2019

5-जी प्रौद्योगिकी

737. श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
श्री चुन्नी लाल साहूः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देशभर में 5-जी प्रौद्योगिकी कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में की गई तैयारियों का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किया जाएगा;

(ग) क्या पूरे देश में 3-जी और 4-जी सेवाएं समुचित रूप से शुरू हो चुकी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और छत्तीसगढ़ के महासमंद जिले सहित देश के सभी भागों में आधुनिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख) सरकार भारत में 5जी सेवाओं के शुभारंभ के लिए 5जी इंडिया 2020 रिपोर्ट के लिए अंतर-मंत्रालयी उच्च स्तरीय फोरम पर आधारित एक समर्थकारी अवसंरचना का निर्माण कर रही हैं। 5जी सेवाओं की धीरे-धीरे शुरू होने की आशा है और पारितंत्र एवं सेवाओं की मांग बढ़ने के साथ सेवाओं के एक संपूर्ण विस्तार की ओर अग्रसर होना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) देश में 3जी और 4जी सेवा को रॉल आउट का दिया गया है तथा इस समय 95 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 3जी/4जी सेवाओं के दायरे में है। दूरसंचार सेवाओं के विस्तार को सुलभ बनाने के लिए दूरसंचार विभाग ने नीतिगत पहल और प्रविस्तारण कार्यक्रम की एक श्रृखंला को आरंभ किया है जो निम्न प्रकार से है:-

जारी–2/-

(क) वर्ष 2016 में अलग-अलग बैंड (700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड) में 965 मेगाहर्ट्ज नीलामी सहित मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना।

(ख) दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक रूप से आबंटित स्पेक्ट्रम के लेन-देन/साझा/उदारीकरण की अनुमति प्रदान करना।

(ग) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उच्च उपयोगीकरण दक्षता प्राप्त करने के लिए सक्रिय के साथ-साथ निष्क्रिय अवसंरचना को साझा करने की अनुमति प्रदान करना।

(घ) प्रचलित अवस्था के अतिरिक्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरनेट प्रोटोकॉल (आई पी) आधारित अंत: संयोजन की अनुमति।

(ड.) नवम्बर 2016 में भूमिगत अवसंरचना (ऑप्टिकल फाइबर) और अधितल अवसंरचना (मोबाइल टावरों) को विनियमित करने के लिए भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम की अधिसूचना जारी करना।

(च) मोबाइल नेटवर्कों के विस्तार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए संबंधित सुधार की समय-समय पर समीक्षा करना।

****